

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जनपद अमरोहा दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (न्यू एन.एच. 09) (पुराना एन. एच-24) किमी० 136.480 से 141.780 की दांयी पटरी पर टोरेट गैस मुरादाबाद लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.3182 है० संरक्षित भूमि प्रस्तावित है। याचक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
अमरोहा


(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा।